न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 85 / 2022
निर्णय दिनांक : 01.01.2025

कालूराम पुत्र स्व. खेताराम जाति नायक उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।

वादी

बनाम

1 मैना पत्नी स्व. खेताराम जाति नायक निवासीनी ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।
2 मीनाराम पुत्र स्व. खेताराम जाति नायक निवासी ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।
3 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय सुजानगढ़ जिला चूरू।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का

—:निर्णय:—

उपस्थिति :—

1. विद्वान अधिवक्ता श्री नवरतन सैनी वास्ते वादी
2. विद्वान अधिवक्ता श्री मुरारीलाल प्रजापत वास्ते प्रतिवादी
3. विद्वान पैरोकार राजस्थान वास्ते सरकार

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी कालूराम ने न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ का स्थाई निवासी होकर अनुसूचित नायक जाति का काश्तकार पैसा व्यक्ति है। वादी के सगे बाबा (ताउजी) स्व. रुपाराम ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ के स्थाई निवासी थे। जिनकी खातेदारी का एक किता खेत खसरा नम्बर 542 बयालीस / 128 एक सौ अठाईस रकबा 2 दो बीघा का (0.5058 शून्य पोईन्ट पांच शून्य पांच आठ हेक्टयर) का ग्राम लोढ़सर मे स्थित चला आ रहा है जिसके आसा पासा निम्नलिखित बताये गये :—

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
रामुराम व का रुपाराम मेघवाल का खेत	कटाणी रास्ता गांव से पहाड़ी जाने वाला	जगदीश प्रसाद प्रजापत का खेत	खुमाराम नायक खेत

जिसे मुकदमा हाजा मे वादगत खेत के नाम से सम्बोधित किया गया वाद मे वर्णित किया गया कि वादी के बाबा (ताऊजी) स्व. रुपाराम जी का स्वर्गवास दिनांक 08.11.2017 आठ नवम्बर दो हजार सतरह को चुका है स्व. रुपाराम के माता पिता का स्वर्गवास स्व. रुपाराम के स्वर्गवास से पहले हो चुका है स्व.

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

रुपाराम ने अपने जीवनकाल मे विवाह नही किया था जो अपनी मृत्यु पर्यन्त अविवाहित थे जिनके कोई संतान कभी नही हुई है और ना ही स्व. रुपाराम का कोई वारिस जीवित या मौजूद है स्व. रुपाराम अपने जीवन पर्यन्त वादी के साथ रहे थे और वादी को सगे पुत्र की भांति स्नेह करते थे स्व. रुपाराम ने अपने जीवनकाल मे वादी के अलावा किसी को गोद नही लिया जो वादी को अपना दत्तक पुत्र मानता था वादी ने स्व. रुपाराम को अपने पास रखा और उनकी सेवा चाकरी की है और एक पुत्र के भांति उनको इस संसार से विदा कर उनका दाहसंस्कार किया था। वादगत खेत को वादी स्व. रुपाराम के जीवनकाल से काश्त करता आया है वादगत खेत वादी के कब्जे व काश्त मे चला आ रहा है। जिसमे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दखल नही किया है। उपरोक्त वर्णित वादगत खेत के बारे मे स्व. रुपाराम ने अपने जीवनकाल मे गवाहान की उपस्थिति मे नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित वसीयतनामा दिनांक 25.01.2017 पच्चीस जनवरी दो हजार सतरह को निस्पादित किया है जिसके आधार पर वादी वादगत खेत का मालिक है स्व. रुपाराम की मृत्यु के पश्चात वादी ने वादगत खेत की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के लिये वादी ने तहसीलदार, सुजानगढ़ के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र व सारे सबूत पैश किये लेकिन तहसीलदार, सुजानगढ़ ने गांव की राजनीतिक प्रभाव मे आकर वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर वादगत खेत की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नही की। वर्तमान मे वादगत खेत को वादी ने काश्त कर रखा है लेकिन वादगत खेत की खातेदारी वादी के नाम नही होने के कारण प्रतिवादीगण गांव की राजनीति के कारण वादी को बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। वादी को धमकी दी है कि तुम्हे इस खेत से बेदखल करेगे और फसल नही लेने देगे यही वाद हेतूक है यदि वादगत खेत से वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्त्य क्षति और वाद प्रस्तुत करने का मदसद ही समाप्त हो जावेगा इस कारण प्रतिवादीगण को तुरंत वर्जित करवाया जाना लाजमी हो चूका है तथा धारा 80 अस्सी(2दो) के नोटिसे से छुट लेकर अवधि भीतर यह दावा प्रस्तुत किया गया है वादगत खेत का वादी काबिज काश्तकार है खेत की खातेदारी वादी के नाम दर्ज किये जाने के लिये खातेदार स्व. रुपाराम की वसीयत दिनांक 25.01.2017 पच्चीस जनवरी दो हजार सतरह वादी के पक्ष मे है जिसके आधार पर और कब्जे काश्त के आधार पर वादी वादगत खेत का खातेदार व काबिज काश्तकार है जिसकी घोषणा करवाने का वादी कानूनी अधिकारी और वादी को वादाधार प्राप्त है आदि आदि

उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत की खातेदारी स्व. रुपाराम की लिखित वसीयत दिनांक 25.01.2017 पच्चीस जनवरी दो हजार सतरह के आधार पर वादी के खेत खसरा नम्बर 542 पांच सौ बयालीय/128 एक सौ अठाईस रकबा 2 दो बीघा (0.5058 शून्य पॉईन्ट पांच शून्य पांच आठ हेक्टयर) रोही लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ का खातेदार वादी है जिसकी घोषणा अता फरमाये। उपरोक्त वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से किसी प्रकार की कोई जवाब देही प्रस्तुत नही की गई व राज्य सरकार द्वारा वाद मे राज्यहित निहीत नही होना प्रकट किया गया है। इस कारण प्रस्तुत वाद मे किसी प्रकार के विवाद्यक की विरचना नही की गई और मामले मे साक्ष्य वादी मे नियत किया गया।

उपरोक्त वाद मे वादी व प्रतिवादीगण मैना ने दिनांक 06.09.2024 को राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद जांच सत्यापित किया गया और साक्ष्य वादी मे पीडब्लू 1 कालूराम, पीडब्लू 02 छोटी देवी व

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

गवाह 3 जगदीश के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वादी की और से वादगत खेत के बारे मे वादी के पक्ष मे वसियतनामा प्रदर्श 1, वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श–2, नक्शा प्रदर्श –3, तहसीलदार का नोटिस प्रदर्श–4, वादी के बयानो की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5, गवाह बन्नाराम के बयानो की प्रति प्रदर्श–6,गवाह जगदीश के बयानो की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7,गवाह हरिप्रसाद नोटेरी एडवोकेट के बयानो की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8 प्रस्तुत किये तथा खातेदार रुपाराम का मृत्यु प्रमाण व कुर्सीनामा की प्रमाणित प्रति भी वादी की और से प्रस्तुत की गई।

वादी की और से प्रस्तुत वाद पत्र व प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्ड़न प्रतिवादीगण की और से नही किया गया है।

न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या वादगत खेत की खातेदारी स्व. रुपाराम की लिखित वसीयत दिनांक 25.01.2017 पच्चीस जनवरी दो हजार सतरह के आधार पर वादी के खेत खसरा नम्बर 542 पांच सौ बयालीय/128 एक सौ अठाईस रकबा 2 दो बीघा (0.5058 शून्य पॉईन्ट पांच शून्य पांच आठ हेक्टयर) रोही लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ का खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के सम्बन्ध मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी के सगे बाबा (ताउजी) स्व. रुपाराम ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ के स्थाई निवासी थे। जिनकी खातेदारी का एक किता खेत खसरा नम्बर 542 पांच सौ बयालीस/128 एक सौ अठाईस रकबा 2 दो बीघा का (0.5058 शून्य पोईन्ट पांच शून्य पांच आठ हेक्टयर) का ग्राम लोढ़सर मे स्थित चला आ रहा है उपरोक्त वर्णित वादगत खेत के बारे मे स्व. रुपाराम ने अपने जीवनकाल मे गवाहान की उपस्थिति मे नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित वसीयतनामा दिनांक 25.01.2017 पच्चीस जनवरी दो हजार सतरह को निष्पादित किया है जिसके आधार पर वादी वादगत खेत का मालिक है। स्व. रुपाराम की मृत्यु के पश्चात वादी ने वादगत खेत की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के लिये वादी ने तहसीलदार, सुजानगढ़ के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र व सारे सबूत पैश किये लेकिन तहसीलदार ,सुजानगढ़ ने वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर वादगत खेत की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नही की।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वसियत प्रदर्श–1, वादगत खेत के खातेदार रुपाराम के द्वारा वादी के पक्ष मे की गई है। इस वसियत के आधार पर वादगत खेत की खातेदारी दर्ज करवाने बाबत वादी द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने व गवाहान के बयान भी करवाये गये है। तहसीलदार द्वारा इस विषय मे सम्पूर्ण जांच की गई है। लेकिन बिना किसी साक्ष्य वादगत भूमि को पैतृक मान वादी के नाम वादगत भूमि की खातेदारी दर्ज नही की गई है जबकि सम्पूर्ण बयानात व रिकार्ड से वादगत खेत पर कब्जा काश्त वादी का होना पाया जाता है तथा खातेदारी वसियत भी वादी के पक्ष मे है जिसको नही मानने का कोई कारण पत्रावली पर नही है।

प्रस्तुत वसियत प्रदर्श–1 व प्रस्तुत अन्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी वादगत खेत खसरा नम्बर 542/128 रकबा 0.5058 हैक्टेयर पटवार हल्का लोढ़सर ग्राम लोढ़सर की

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी पाया जाता है साथ ही वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध विर
निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।
फलतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर भू धारक तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 542/128 रकबा 0.5058 हैक्टेयर रोही लोढ़सर पटवार हल्का लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू की खातेदारी वादी कालूराम पुत्र स्व. खेताराम जाति नायक निवासी ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के नाम दर्ज करे तथा खातेदार मृतक रुपाराम का नाम हटाया जावे खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करें। तनदनुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइस्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ
बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

कालूराम बनाम मैना आदि
दावा बाबत विभाजन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का

मुकदमा न0 85 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....हाजरी श्री नवरतन सैनी एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर भू धारक तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 542/128 रकबा 0.5058 हैक्टेयर रोही लोढ़सर पटवार हल्का लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु की खातेदारी वादी कालूराम पुत्र स्व. खेताराम जाति नायक निवासी ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के नाम दर्ज करे तथा खातेदार मृतक रुपाराम का नाम हटाया जावे।खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करें। तनदनुसार डिकी पर्चा तैयार किया जावे।

चीज.. मुबलिग ....
बाबत ....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... करे। .... को अदा

दस्तख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 01 2025

दस्तखत ....
ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।